

## असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1074]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2016/वैशाख 14, 1938

No. 1074]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2016/VAISAKHA 14, 1938

## श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2016

का. आ. 1632(अ).—केन्द्रीय सरकार औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) की धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1062, तारीख 15 मार्च, 1990 को अधिक्रांत करते हुए निम्निलिखित अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार या रेल प्रशासन के नियंत्रणाधीन भारत में कहीं भी स्थित औद्योगिक संगठनों या प्रमुक पत्तन अथवा तेल-क्षेत्रों की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी के कृत्यों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करती है, अर्थात :-

- 1. मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ;
- 2. अपर मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) :
- 3. सभी उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)।

[सं एस-12011/3/2014-आई.आर.(पी.एल.)]

जी. वेणुगोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2016

**S.O.** 1632(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1062 dated the 15<sup>th</sup> March, 1990, the Central Government hereby appoints the following officers to exercise the functions of appellate authority under the said Act in respect of the industrial establishments under the control of Central Government or a Railways administration or a major port, mine or oil-field situated anywhere in India, namely:-

- (1) Chief Labour Commissioner(Central);
- (2) Additional Chief Labour Commissioners(Central);
- (3) All Deputy Chief Labour Commissioners (Central).

[No. S-12011/3/2014-IR (PL)]

2214 GI/2016